

FORM NO. III**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी न्याय आपके द्वार-2018 कैम्प सराणा

मेहराराम बनाम सरकार Rcms.....2018/01586

किस्म मुकदमा 136 आरएल आर एक्ट नं756..... सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27.06.2018	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी मेहराराम पुत्र अमराराम ने अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर एक्ट के तहत विप्रार्थी के विरुद्ध राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प सराणा तहसील पचपदरा मे पेश किया जो विविध दर्ज रजिस्टर हो ।</p> <p>प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया है कि उसका नाम राजस्व रेकर्ड मौजा सराणा पटवार मण्डल सराणा की जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 के खाता संख्या 33, 206, 524 में अशुध्द नाम मेरामसिह पुत्र अमराराम दर्ज है। जिसको मेहराराम पुत्र अमराराम राजस्व रेकर्ड में शुध्द व सही दर्ज करने का निवेदन किया है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हल्का पटवारी सराणा की प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकर्ड मौजा सराणा की जमाबन्दी खाता संख्या 33, 206, 524 मे दर्ज अशुध्द नाम मेरामसिह पुत्र अमराराम की जगह शुध्द नाम मेहराराम पुत्र अमराराम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।</p>	

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

बालोतरा कैम्प.....

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालोतरा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प बालोतरा

आदेश: 756/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सराणा व भूअ.नि. 376112 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सराणा तहसील बालोतरा जिला बालोतरा की जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में खाता संख्या 33, 206, 524 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सराणा	33, 206, 524	मेहराराम पुत्र अमराराम	मेहराराम पुत्र अमराराम

(भागीरथ पीठासीन अधिकारी)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट - 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा कैम्प पदेन सहायक कलक्टर

दिनांक :-

- प्रतिलिपि में प्रसारित किया जा रहा है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाक
1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाक पालना रिपोर्ट भिजवायें।
 2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
 3. रक्षित पत्रावली।

(भागीरथ पीठासीन अधिकारी)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट - 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा कैम्प